



## फोन बैंकिंग के जरिये वित्तीय संव्यवहार हेतु आवेदन

### वैयक्तिक विवरण

पूरा नाम : \_\_\_\_\_

ग्राहक आईडी : \_\_\_\_\_

कृपया फोन बैंकिंग के जरिये सेवाएं प्राप्त करने हेतु मेरे व्यक्तिगत विवरणों को निम्नानुसार अद्यतित करें :

टेलीफोन नं. : \_\_\_\_\_ मोबाइल नं. \_\_\_\_\_

ईमेल आईडी : \_\_\_\_\_

जन्म तिथि : \_\_\_\_\_ माता का प्रथम नाम : \_\_\_\_\_

मैं मौजूदा फोन बैंकिंग प्रयोक्ता हूँ. कृपया मुझे फोन बैंकिंग चैनल के जरिये वित्तीय संव्यवहारों तथा अनुरोधों की सुविधा प्रदान करें.

*(कृपया अपेक्षानुसार उपरोक्त खाने में सही का चिह्न लगाएं)*

### घोषणा

मैंने निबंधनों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है. मैं बैंक के उत्तरदायित्व सहित तथा उसे छोड़कर/ सीमित दायित्व सहित उक्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ तथा उससे आवेदक रहने के लिए सहमत हूँ. मैं समझता हूँ कि बैंक अपने स्वविवेक पर, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी सेवा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बंद कर सकता है. मैं सहमत हूँ कि बैंक समय-समय पर लागू सेवा प्रभारों हेतु मेरे खाते को डेबिट कर सकता है.

मैं/ हम चयनित चैनल के जरिये खाते में एक्सेस करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करते हैं और आईडीबीआई बैंक को चयनित चैनल में आवेदक द्वारा खोले गए नए खाते को लिंक करने के लिए प्राधिकृत करते हैं. मैं/ हम उपरोक्त चयनित सेवाओं के इस्तेमाल के लिए उक्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ/ करते हैं और उनसे आबद्ध रहने हेतु अपनी सहमति देता हूँ/ देते हैं.

संयुक्त खातों के मामले में, सभी खाता धारक अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करें.

नाम (प्रथम धारक) \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम (द्वितीय धारक) \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम (तृतीय धारक) \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

## केवल बैंक के प्रयोग हेतु

शाखा नाम : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता : \_\_\_\_\_

ग्राहक आईडी सत्यापनकर्ता : \_\_\_\_\_

सीपीयू में वैकल्पिक चैनल परिचालन विभाग को प्राप्ति : \_\_\_\_\_

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005.

किसी भी लैंडलाइन/ मोबाइल फोन से संपर्कयोग्य टोल-फ्री नंबर: 1800-200-1947/ 1800-22-1070,

गैर-टोल फ्री नंबर: 022-66937000. वेबसाइट : [www.idbi.com](http://www.idbi.com)

### फोन बैंकिंग के नियम व शर्तें

**फोन बैंकिंग:** फोन बैंकिंग व्यक्तिगत, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फ़र्मों और कंपनियों द्वारा रखे गए खातों के आधार पर बैंक के एकल विवेकाधिकार से प्रदान की जाएगी. जो खाते अवयस्क के नाम पर हैं या जिनमें अवयस्क संयुक्त खाता धारक है और संयुक्त रूप से परिचालित हैं, उन बैंक खातों में फोन बैंकिंग उपलब्ध नहीं होगी. डिमैट खातों के लिए फोन बैंकिंग, बैंक द्वारा सभी डिमैट खाता धारकों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने फोन बैंकिंग सेवा के प्रयोग हेतु आवेदन किया है.

**प्रयोक्ता:** प्रयोक्ता से तात्पर्य है बैंक का कोई भी खाता धारक जो फोन बैंकिंग सेवा ले रहा है. इस सेवा के प्रयोग से, फोन बैंकिंग की उसके सभी निबंधन और शर्तों को प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृत माना जाएगा.

**टीपिन:** टीपिन (टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) से अर्थ है फोन बैंकिंग सेवा प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गयी एक \_ अंकीय संख्या. फोन बैंकिंग सेवा के प्रयोक्ता को जारी किया गया टीपिन सख्त रूप से प्रयोक्ता के व्यक्तिगत प्रयोग के उद्देश्य हेतु है. यह अत्यधिक गोपनीय और गैरहस्तांतरणीय है. टीपिन को किसी भी स्थिति अथवा किसी भी अर्थ में चाहे स्वेच्छा से हो या अन्यथा किसी अन्य पक्ष को दिखाया या साझा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि टीपिन फोन बैंकिंग सुविधा के प्रयोग को केवल प्राधिकृत प्रयोक्ता तक सीमित करता है. प्रयोक्ता को टीपिन का कोई भी लिखित रिकॉर्ड किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी रूप में जो अन्य पक्ष को फोन बैंकिंग सुविधा के प्रयोग में सक्षम बनाए, नहीं रखना चाहिए. टीपिन का प्रयोग बैंक द्वारा नामित संव्यवहार(रों) के अतिरिक्त किसी भी प्रयोग हेतु नहीं किया जाना चाहिए. सुरक्षा उपाय के रूप में, प्रयोक्ता को बैंक द्वारा सौंपे गए टीपिन को पहली बार फोन बैंकिंग सेवा एक्सेस करने पर और उसके बाद जितनी शीघ्रता से संभव हो उतनी बार शीघ्रता से बदलें. यदि प्रयोक्ता टीपिन को भूल जाता है/ खो देता है/गुम कर देता है या टीपिन गोपनीय

रहता है, प्रयोक्ता बैंक को तुरंत सूचित करने की घोषणा करता है. प्रयोक्ता नया टीपिन जारी करने का अनुरोध कर सकता है. आवश्यक प्राधिकरण की प्रक्रियाएँ करने के बाद नया टीपिन प्रयोक्ता को जारी कर दिया जाएगा. प्रयोक्ता इस बात से अवगत है और स्वीकार करता है कि नए टीपिन को जारी करना नए संविदा का प्रारंभ नहीं समझा जाएगा. प्रयोक्ता को अन्य पक्ष द्वारा सेवाओं के अप्राधिकृत और अवैधानिक प्रयोग से बचने के सभी आवश्यक एहतियात करने होंगे. फोन बैंकिंग सेवा के प्रयोग के उद्देश्य के लिए, प्रयोक्ता को टीपिन बैंक द्वारा निर्देशित प्रकार में ही देना होगा. टीपिन के प्रयोग द्वारा, फोन बैंकिंग सेवा के प्रत्येक प्रयोग या उससे संबंधी सूचना प्राप्त करने में प्रयोक्ता को इस बात का प्रतिनिधित्व करते हुए माना जाएगा कि वह खाते में निहित निधियों तथा सम्पत्ति का विधिक तथा लाभार्थी स्वामी है अथवा उनका संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत है. इस टीपिन के प्रयोग से सभी संव्यवहार खाताधारक(कों) का उत्तरदायित्व होगा और खाताधारक बैंक द्वारा संव्यवहारों के रखे गए/सृजित रिकॉर्ड का पालन करना होगा.

**संयुक्त खाते:** संयुक्त खाते के मामले में निबंधन एवं शर्तों के लिए सभी खाता धारक को फोन बैंकिंग पंजीकरण अनुरोध आवेदन पर अपनी सहमति देनी होगी और इनका पालन करना होगा. फोन बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक संयुक्त खाताधारक को भिन्न टीपिन दिया जा सकता है. फोन बैंकिंग के प्रयोग से हुए सभी संव्यवहार सभी संयुक्त खाताधारकों पर संयुक्त और पृथक रूप से बाध्यकारी होंगे. इसके अधीन व्यक्तियों की बाह्यताएं संयुक्त व कई होंगी तथा विषय-वस्तु की आवश्यकतानुसार ऐसे व्यक्तियों पर दायित्व संयुक्त और पृथक और जैसा कि विषय में आवश्यक हो, होंगे, यहाँ एकवचन दर्शाने वाले शब्द बहुवचन सन्निहित माने जाएंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कोई भी नोटिस सभी व्यक्तियों को प्रभावी अधिसूचना मानी जाएगी. सभी पत्राचार केवल पहले खाताधारक को संबोधित किए जाएंगे.

**संयुक्त परिचालित बैंक खाते के संबंध में फोन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है. वित्तीय लेनदेन:** बैंक वित्तीय लेनदेन के संचालन की सुविधा प्रदान करता है जैसे कि फोन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान रोकने, ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश जारी करना लेकिन यह यही तक सीमित नहीं है. यह सुविधा केवल फोन बैंकिंग के लिए पंजीकृत वैयक्तिक तथा एकल स्वामित्व द्वारा संचालित बैंक खातों के संबंध में उपलब्ध है. उक्त सुविधा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी. बैंक समय-समय पर वित्तीय लेनदेन पर अधिकतम और न्यूनतम सीमा को निर्धारित करेगा. प्रयोक्ता इस तरह की सीमाओं को मानने के लिए बाध्य होंगे. बैंक के पास, अपने द्वारा समय-समय पर फोन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से प्रदान किए गए सुविधा/लेनदेनों में कुछ जोड़ने/ आशोधन/ आहरण करने का अधिकार होगा.

**खाताधारक का दायित्व:** खाताधारक(कों) सभी लेनदेनों के लिए उत्तरदायी होगा भले वह खाताधारक द्वारा प्राधिकृत किया गया है या नहीं, तथा फोन बैंकिंग सेवा के किसी भी अनाधिकृत प्रयोग होने पर

उनके विरुद्ध शुरू की गई किसी कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या किसी हानि, लागत या क्षति के प्रति बैंक को सुरक्षित और हानिरहित तथा बीमांकित रखेगा. संयुक्त खातों के मामले में, सभी खाताधारक भले उन्हें टीपिन जारी किया गया हो या नहीं, संयुक्त खाताधारकों में से किसी के भी द्वारा प्रभावित सभी लेनदेनों के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे. बैंक टेलीफोन द्वारा प्रयोक्ता के निर्देश पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है और खाताधारक(को) इससे सहमत होते हैं कि बैंक ऐसे किसी भी टेलीफोन निर्देश पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है जिसके बारे में बैंक अपने एकल विवेकाधिकार से यह विश्वास करता है कि यह निर्देश खाताधारक द्वारा निर्दिष्ट किए गए टीपिन (या उस उद्देश्य के लिए खाताधारक द्वारा किसी वैकल्पिक संख्या) के द्वारा किया गया है तथा बैंक टेलीफोन निर्देश के आधार पर किए गए ऐसे किसी सद्भावना कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो अनाधिकृत वैयक्तियों द्वारा किए गए हों और न ही इसका यह कर्तव्य होगा कि वह खाताधारक के नाम पर कथित रूप में टेलीफोन निर्देश देने वाले व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करें.

**न्यूनतम शेष:** प्रयोक्ता को बैंक खाते में हर समय न्यूनतम शेष रखना होगा जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है और यदि किसी भी समय उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम शेष की जमाराशि में कमी होती है तो बैंक खाताधारक(कों) को आगे बिना कोई नोटिस दिये और/या ऐसे आहरण के कारणों के द्वारा कोई देयता या उत्तरदायित्व जो भी हो के साथ अपने विवेक पर, बैंक के नियमों के अनुसार इस तरह के दंड या सेवा प्रभार लगा सकता है या फोन बैंकिंग की सुविधा वापस ले सकता है. न्यूनतम शेष मानदंड डीमैट खातों के लिए लागू नहीं है.

**अधि-आहरित शेष:** प्रयोक्ता बैंक में स्थित खाते में जमा से अधिक आहरण करने अथवा बैंक द्वारा सहमत किसी ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक निधि आहरित करने के लिए हकदार नहीं होगा. खातों के अधि-आहरित होने के मामले में बैंक अधि-आहरित शेष की तारीख से समायोजन की तारीख तक ऐसी अधि-आहरित राशि पर बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार दरों पर ब्याज लगाएगा. यह शर्त डीमैट खातों के लिए लागू नहीं है.

**बैंक का ग्रहणाधिकार :** बैंक को खाताधारक को उपलब्ध करायी गई और/ अथवा खाताधारक द्वारा उपयोग की गई फोन बैंकिंग सेवा के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी बकाया देयों की सीमा तक फोन बैंकिंग धारक के खाते(तों), अथवा किसी अन्य खाते से, चाहे वे एकल नाम में हों अथवा संयुक्त नाम में हों, में धारित वर्तमान और साथ ही साथ भावी जमाओं पर अन्य ग्रहणाधिकार अथवा प्रभार पर विचार किए बिना, प्रतितुलन और ग्रहणाधिकार का अधिकार रहेगा. यह शर्त डीमैट खातों के लिए लागू नहीं है.

## सकारना करना :

1. प्रयोक्ता फोन बैंकिंग सेवा के माध्यम से प्रयोक्ता द्वारा बैंकिंग या लेनदेन को सम्पन्न करने के लिए अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त के बैंक और उसके प्राधिकृत व्यक्तियों को अपने सभी खातों तक पहुँच के लिए प्राधिकृत करता है. बैंक को यह अधिकार रहेगा कि वह ग्राहक की वास्तविकता के प्रमाणन के लिए आगे की जानकारी और प्रयोक्ता के प्रमाणन के लिए अन्य किसी जानकारी के प्रयोग के लिए प्रयोक्ता से अनुरोध कर सकता है. फोन बैंकिंग सेवा के माध्यम से प्रयोक्ता से प्राप्त किसी लेनदेन के प्रमाणन के सत्यापन के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा.
2. बैंक फोन बैंकिंग सेवा प्रदान करने में असफलता या इसके अंतर्गत अन्य दायित्वों या अनुदेशों पर कार्रवाई करने में होने वाले विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि ऐसी असफलता या विलंब (चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से) फोन बैंकिंग सुविधा, बैंक की प्रणाली की किसी विफलता, निधियों की अस्थायी अपर्याप्तता, किसी विवाद या इसके नियंत्रण से बाहर की अन्य परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हों. बैंक फोन बैंकिंग के प्रयोग से या उससे संबंधित उत्पन्न किसी परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा. जब तक बैंक द्वारा अन्यथा सत्यापित नहीं किया जाता है, तब तक जारी किया गया कोई भी विवरण निर्णायक होगा, इस तरह का कोई भी सत्यापन अंतिम और निर्णायक होगा और प्रयोक्ता उसपर कोई आपत्ति नहीं करेगा.
3. फोन बैंकिंग परिचालन के लिए सभी अनुदेश स्पष्ट और असंदिग्ध होने चाहिए और प्रयोक्ता द्वारा बैंक को स्वीकार्य रीति में टेलीफोन के माध्यम से दिये जाएंगे. अनुदेशों के विकृत या असंदिग्ध होने की स्थिति में ऐसे किसी अनुदेश पर कार्रवाई करना अथवा न करना बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा और इस संबंध में बैंक का निर्णय ग्राहक पर बाध्यकारी होगा. इसके अलावा, यदि बैंक की राय में अनुदेश या तो वास्तविक नहीं हैं या अनियमित या संदिग्ध हैं तो बैंक ग्राहक द्वारा दिए गए अनुदेश पर कार्रवाई न करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखता है. यदि बैंक प्रयोक्ता द्वारा बाद में निरस्त किए गए प्रारम्भिक अनुदेश के कार्यान्वयन को रोकने में असमर्थ रहता है या नहीं रोकता है तो बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा. फोन बैंकिंग सेवा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लेनदेन के लिए बैंक द्वारा जेनरेट सभी रिकॉर्ड लेनदेन की वास्तविकता और सटीकता के निर्णायक प्रमाण होंगे. प्रयोक्ता एतद्वारा बैंक को स्पष्ट प्राधिकार देता है कि वह जैसा ठीक समझें, उस तरीके से अभिलेखों को अनुरक्षित रख सकता है.

4. फोन बैंकिंग सेवा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय के दौरान परिचालित होगी.

**सूचना की सटीकता:** प्रयोक्ता, फोन बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक को दी गई जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार है. प्रयोक्ता द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण हुए परिणामों के लिए बैंक कोई देयता स्वीकार नहीं करता है. यदि प्रयोक्ता को, आवेदन फॉर्म या किसी अन्य सूचना द्वारा बैंक को दी गई जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो वह इस संबंध में तुरंत बैंक को सूचित करेगा और बैंक "उचित प्रयासों" के आधार पर जहां कहीं भी संभव हो त्रुटि को सही करने का प्रयास करेगा.

**क्षतिपूर्ति:** प्रयोक्ता बैंक के निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित प्रयोक्ता अनुदेशों पर बैंक के निष्पादन के संबंध में हुए, वहन किए गए, उठाए गए या भविष्य में उठाए जा सकने वाले सभी हानि और खर्चों के एवज में अथवा सभी कार्रवाइयों, दावों, कार्यवाही, हानि, क्षति, लागत, प्रभार और बैंक द्वारा फोन बैंकिंग सेवा प्रदान करने के कारण अथवा परिणाम के रूप में खर्च या बैंक और इसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा प्रयोक्ता के अनुदेशों पर की गई कार्रवाई अथवा न की गई किसी भी कार्रवाई से होने वाली हानि से सुरक्षित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा.

**प्रभार:** प्रयोक्ता एतदद्वारा बैंक को फोन बैंकिंग से संबंधित सभी प्रभार जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए हैं. प्रयोक्ता के किसी एक खाते से नामे द्वारा अथवा प्रयोक्ता को इस संबंध में बिल भेजकर जिसे प्रयोक्ता निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने हेतु जिम्मेदार है, वसूलने के लिए बैंक को अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त प्राधिकृत करता है ऐसा न करने पर बैंक जैसा उचित समझे, ब्याज सहित सभी प्रभार जो कि बैंक द्वारा उस समय विशिष्ट दर से देय है वसूली करेगा और/ अथवा बैंक के बिना किसी देयता व जिम्मेदारी के फोन बैंकिंग सेवा को समाप्त कर सकता है.

**प्रकटन का अधिकार:** बैंक धोखाधड़ी के रोकथाम के उद्देश्यों के लिए, विधि निदेशों के अनुपालन में, प्रयोक्ता के खाते से संबंधित ऐसी जानकारी जो समावेशी कारणों के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकती है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नेटवर्क में भागीदारी तक सीमित नहीं है, अन्य संस्थानों के साथ सख्त गोपनीयता के अधीन, प्रकटन का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

**सूचना:** डाक द्वारा भेजी गए कोई भी सूचना बैंक के पास लिखित रूप में अंतिम अधिसूचित पते पर भेजने के 7 दिनों के भीतर प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त मानी जाएगी. इसके अलावा बैंक सामान्य प्रकार की सूचनाएं जो कि फोन बैंकिंग सेवा के सभी प्रयोक्ताओं पर लागू होगी अपनी शाखाओं, वेबसाइट, सूचना पट्ट, विवरणियों अथवा किसी समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करेगा.

**फोन बैंकिंग सेवाओं की समाप्ति:** यदि प्रयोक्ता फोन बैंकिंग सुविधा को समाप्त करना चाहता है, तो वह बैंक को लिखित रूप में कम से कम 15 दिनों का नोटिस देगा और इसके लिए वैध पावती प्राप्त करेगा. फोन बैंकिंग सुविधा का उपयोग सभी अथवा किसी एक संयुक्त खाताधारकों द्वारा किये जाने पर फोन बैंकिंग सुविधा समाप्त करने की सूचना सभी संयुक्त खाताधारकों द्वारा दी जाए. प्रयोक्ता इस प्रकार से समाप्त की गई के समय तक फोन बैंकिंग सेवा के माध्यम से किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा.

**सुविधा समाप्त करने का अधिकार :** बैंक को निम्नलिखित घटनाओं में किसी एक के होने पर तुरंत प्रभाव से फोन बैंकिंग सुविधाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा (अ) यहाँ व आगे बताए गए निबंधनों तथा शर्तों के पालन अथवा अनुपालन करने में असफल होने पर; (आ) या बैंक के साथ किए गए अनुबंध या प्रतिबद्धता (आकस्मिक या अन्य किसी प्रकार की) के अंतर्गत किसी चूक की घटना होने पर (इ) खाताधारक के किसी दिवाला, दिवालियापन की कार्यवाही या इसी प्रकृति की कार्यवाहियों का विषय बनने पर; या (ई) खाताधारक की मृत्यु होने पर. बैंक हालांकि किसी भी समय फोन बैंकिंग सुविधा के विस्तार या आहरण को समाप्त करने का अधिकार उसके अकेले तथा स्वविवेक पर, बिना कारण बताए चाहे कारण जो भी हो अपने पास सुरक्षित रखेगा.

**निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन :** बैंक प्रयोक्ता को सूचना पर स्व:विवेक पर इन निबंधनों तथा शर्तों में कुछ भी जोड़ने, हटाने तथा/ या संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेगा. नई आरंभ की गई सेवाओं के बदले गए निबंधनों एवं शर्तों को बैंक की वेबसाइट या संचार के अन्य किसी माध्यम से सूचित किया जाएगा. नई सेवाओं के उपयोग करने से यह माना जाएगा कि प्रयोक्ता को बदली गई निबंधन तथा शर्तें मंजूर हैं. यदि निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन होने के कारण प्रयोक्ता फोन बैंकिंग सुविधा को समाप्त करने का इच्छुक है तो प्रयोक्ता को पूर्व तिथि जब से यह परिवर्तन प्रभाव में आए बैंक की सुविधाओं को समाप्त करने के लिए अनुरोध करना चाहिए.

**भावी खातों पर लागू होना:** यदि प्रयोक्ता बैंक के साथ आगे कोई खाता खोलता है /बैंक के किसी उत्पाद तथा सेवाओं को जिससे बैंक द्वारा फोन बैंकिंग सेवा विस्तारित की गई है ग्राहक बनता है तब उक्त से निबंधन तथा शर्तें प्रयोक्ता द्वारा फोन बैंकिंग सेवा के ऐसे प्रयोग करने से स्वतः ही लागू हो जाएगी.

## अनिवार्य बाध्यता :

1. इस करार के अंतर्गत बैंक द्वारा इसके दायित्वों के निष्पादन में कोई चूक या देरी इसके भंग या हानि होने यदि कोई हो, के लिए तथा बैंक के नियंत्रण से बाहर होने के कारण कोई दावे करने का अधिकार नहीं देता है तथा इसमें लिंक असफल होने, सरकारी प्राधिकरण के कार्यकलापों, देव कृत्यों, हड़तालों या संबन्धित कर्मचारियों के कार्यों, आगजनी, बाढ, विस्फोट, युद्ध, दंगों, तूफान, भूकंप, विद्रोह, तोड़-फोड़, महामारी, नियमों, विनियमों, आदेशों, या किसी भी राज्य की किसी सरकार, उपखंड, एजेंसी या किसी सक्षम न्यायाधिकार के न्यायालय के निर्देशों को भी शामिल किया गया है.
2. बैंक को प्रदत्त सभी प्राधिकार तथा शक्तियाँ अप्रतिसंहरणीय हैं.

**शासी कानून:** ये निबंधन तथा शर्तें भारतीय कानून द्वारा अभिशासित होंगे. बैंक जो भी देयता, भारत को छोड़कर अन्य देश के कानूनों के गैर-अनुपालन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता चाहे जो भी हो स्वीकार नहीं करेगा. प्रयोक्ता तथा बैंक सहमत हैं कि इन निबंधनों तथा शर्तों में से की जाने वाली किसी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही किए जाने पर भारत में मुंबई के न्यायालयों या अधिकरणों के ध्यान में लाया जाएगा तथा इन न्यायालयों तथा अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में स्वयं को अपरिवर्तनीय रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. तथापि बैंक इन निबंधनों तथा शर्तों में, इनसे उत्पन्न किसी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को आरंभ करने के लिए अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य उपर्युक्त फोरम में जा सकता है तथा प्रयोक्ता उस विवेकाधिकार की एतद्वारा सहमति देता है.

खाताधारक (कों) का हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
(प्रथम धारक) (द्वितीय धारक) (तृतीय धारक)

दिनांक: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_